माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – निगरानी – 5224/2018 शाजापुर/भू.रा.

जगन्नाथसिंह पिता दरियावसिंह, आयु 63 वर्ष
निवासी ग्राम लाहरखेड़ा कृषक ग्राम मण्डलखा
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.

— आवेदक

विरूद्ध

1. चंदरसिंह पिता सालगराम, आयु 45 वर्ष
निवासी ग्राम लाहरखेड़ा कृषक ग्राम मण्डलखा
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक शुजालपुर
वृत 1 जिला शाजापुर

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 2/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 07–05–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर धारा 5 अवधि विधान के आवेदन में लिखे गये कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंदर अवधि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करता है।

निगरानी के आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि, विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी कोई सीमांकन ... की जाती है तो आसपास के समस्त भूमिस्वामियों को सूचना

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5224/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री विनय कुमार ओझा उपस्थित। **आवेदक** की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: **यह** प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	